प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल और मंडी का किया निरीक्षण

अस्पताल में मरीजो का जाना हाल, तो मंडी पहुंचकर किसानों की सुनी समस्याएं, निराकरण के दिए निर्देश

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। मध्यप्रदेश शासन के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने शुक्रवार को जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आईसीयू वार्ड में पहुंचकर भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं के बारे में पूछा। उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर्स द्वारा समय पर देखरेख एवं उपचार के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि जिला चिकित्सालय में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलें। जिससे मरीजों को समय पर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहे यह सुनिश्चित करें। उन्होंने अस्पताल की रंगाई, पुताई, साफ-सफाई के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।

किसानों की सुनी समस्याएं:

जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला द्वारा शुक्रवार को नवीन कृषि उपज मंडी स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र का निरीक्षण कर उपार्जन केन्द्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री द्वारा उर्पाजन केन्द्र पर किसानों को छाया, पानी एवं बैठने की समुचित व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही किसानों से तौल के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिये कि उर्पाजन कार्य पूरी पारदर्शिता एवं सुचारू रूप से संपादित किया जाएं तथा किसानों को किसी भी प्रकार परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने तौल काटे, बारदाना व्यवस्थ एवं भण्डार की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने उर्पाजन केन्द्र पर उपस्थित किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी तथा त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। इस दौरान कलेक्टर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

भूसे से भरे ट्रैक्टर-ट्राली में लगी आग, लाखों का नुकसान

नवभारत न्यूज

शाढ़ौरा। कस्बे में गुरुवार देर रात नईसराय रेलवे फाटक के पास खड़ी भूसे से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में अचानक आग लग गई। आग लगते ही ट्रॉली में भरा भूसा धू-धू कर जलने लगा। घटना के दौरान आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आनन-फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जिसके बाद फायरकर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना रात करीब 12.30 बजे की है। पास में एक शादी समारोह के चलते बारात निकल रही थी और आतिशबाजी भी की जा रही थी। आशंका जताई जा रही है कि आतिशबाजी की चिंगारी भूसे पर गिरने से आग लगी होगी। आग तेजी से फैलने लगी, लेकिन स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग कर दिया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। ट्रैक्टर-ट्रॉली मालिक विजय भदोरिया ने बताया कि ट्रॉली में रखा भूसा, भूसा पाली और नए टायर पूरी तरह जल गए। उन्होंने बताया कि इस घटना में करीब 50 से 60 हजार रुपये के नुकसान का अनुमान है। इसमें लगभग 15 हजार रुपये का भूसा और पाली सहित नए टायरों का नुकसान शामिल है। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने मोटर चालू कर पाइपलाइन के जरिए आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर दमकल वाहन भी मौके पर पहुंचा और करीब पांच मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते आग बुझ जाने से आसपास के क्षेत्र में बड़ा हादसा होने से बच गया।

एक नजर में

नेशनल लोक अदालत आज

अशोकनगर। नालसा नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर के द्वारा 9 मई 6 को द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिसका औपचारिक शुभारंभ प्रात: 10 .30 बजे एडीआर सेंटर के सभागृह में किया जायेगा।

ई-विकास पोर्टल के माध्यम से बुकिंग कर खाद प्राप्त कर सकते हैं

अशोकनगर। खरीफ फसलों की बोनी की तैयारी हेतु प्रदेश में खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान स्थिति में लगभग 6 .40 लाख मेट्रिक टन यूरियाए 1 .57 लाख मेट्रिक टन डीएपीए 3 .56 लाख मेट्रिक टन एनपीके इस प्रकार 5 .13 लाख मेट्रिक टन डीएपीएनपीके तथा 3 .50 लाख मेट्रिक टन एसएसपी खाद उपलब्ध है। विषम वैश्विक परिस्थितियों के उपरांत भी भारत सरकार द्वारा प्रदेश में उर्वरको की आपूर्ति निर्वाध तथा तय कार्यक्रम अनुसार निरंतर की जा रही है। प्रदेश में उक्त उपलब्ध खाद सोसायटीवार, मार्कफेड के डबल लॉक केंद्रवार, निजी दुकानवार ई .विकास पोर्टल पर उपलब्ध है। विभाग ने किसान से अनुरोध है कि आप अपनी आवश्यकतानुसार खाद अपनी सोसायटी मनपसंद दुकान से ई .विकास पोर्टल के माध्यम से बुकिंग कर अपने खाद को उठा सकते है। ई .विकास प्रणाली में राजस्व पट्टाधारी, वन पट्टाधारी, सिकमी किसान शारीरिक रूप से अक्षम किसान, वृद्ध किसान, मृतक किसान के वारिसान को धार्मिक संस्थान ट्रस्ट आदि की जमीन के लिए खाद उपलब्ध कराने हेतु सुविधा दी गयी है। वहीं किसानो को खरीफ की फसलो की बोनी हेतु फसलो की अनुशंसित खाद की मात्रा अनुसार यूरिया, एसएसपी, एनपीके, डीएपी, पोटाश खाद की पूर्ण मात्रा को एक बार में ही उठा सकता है। यदि किसान चाहे तो पुन: पोर्टल पर प्रक्रिया का पालन कर अपनी मर्जी अनुसार खाद बुक कर अपनी सुविधानुसार उठा सकता है। जिले में ई टोकन के माध्यम से 6286 किसानों द्वारा 2727 मै .टन उर्वरकों का उठाव किया गया है। जिले में यूरिया 9785 मे .टन डी .ए .पी .टी .एस .पी . 1830 मे .टन, एन .पी .के . 2888मे .टन 3892 मे .टन, एम .ओ .पी . 351 मे .टन उपलब्ध है।

फोटो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग पर बनाया धर्म परिवर्तन के लिए दबाव, दो गिरफ्तार

जिले में एक पखवाड़ा में आया तीसरा मामला

पीड़िता से पहले की दोस्ती, फिर खींचे फोटो

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। शांति प्रिय अशोकनगर जिला अब धर्मातंरण का गढ़ बनता जा रहा है, जिसके चलते आए दिन धर्मातंरण के मामले उजागार हो रहे है, ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के है, जहां एक नाबालिग लड़की से पहले मुस्लिम युवक ने दोस्ती की और फिर उसके फोटो लिये और इन्हीं फोटो को वायरल करने की धमकी देते हुए धर्म परिवर्तन का दबाब बनाया। जिसकी शिकायत पीड़िता द्वारा कोतवाली थाना में की गई, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे भेजा है। यह गौर करने वाली बात ये है कि विगत एक पखवाड़ा में जिले में यह तीसरा धर्मातंरण का मामला सामने आया है।

दरअसल 7 मई को 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता थाने पहुंची, जहां उसने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी रियान खान, जुबेर खान एवं मुसीर खान निवासी आजाद मोहल्ला अशोकनगर द्वारा उसे पिछले लगभग एक वर्ष से लगातार परेशान किया जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी रियान खान ने मित्रता के दौरान पीड़िता की आपत्तिजनक फोटो प्राप्त कर ली थी, जिसके आधार पर वह फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल करता था। साथ ही आरोपी द्वारा पीड़िता पर धर्म परिवर्तन करने हेतु दबाव बनाया जा रहा था। वहीं पीड़िता की शिकायत पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वहीं मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रवि प्रताप सिंह चौहान को आरोपियों के विरुद्ध तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। निर्देशों के पालन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी रियान खान एवं मुसीर खान निवासी आजाद मोहल्ला अशोकनगर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही प्रकरण में संलिप्त एक विधि विवादित बालक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रवि प्रताप सिंह चौहान, उप निरीक्षक जंग बहादुर सिंह तोमर, सहायक उप निरीक्षक विनोद तिवारी, प्रधान आरक्षक दिनेश कुशवाह, नवल शर्मा, आरक्षक अभयराज एवं पवन धाकड़ की सराहनीय भूमिका रही।

शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ

अशोकनगर। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अशोकनगर में सत्र 2026 - 27 के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रमो में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण छात्र - छात्राओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गयी है। जिसमे प्रथम चरण में ऑनलाइन पंजीयन 4 मई से 29 मई तक किया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थी अपनी पसंद के संस्थान और पाठ्यक्रम का चयन (चॉइस फिलिंग) 15 मई से 2 जून तक कर सकेंगे। पंजीयन में त्रुटी सुधार (एडिट) का अवसर 30 व 31 मई को मिलेगा। इसके बाद मेरिट सूची 03 जून को जारी की जायेगी। इसके पश्चात सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी। जिसमे 8 जून से 13 जून तक संस्था में उपस्थित होकर अभ्यार्थी अपनी प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करा सकेंगे।महाविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजिनियरिंग जैसे पाठ्यक्रम उपलब्ध है। वहीं दूसरे चरण की काउंसलिंग 09 जून से 18 जून तक होगी, जिसमे पुन: पंजीयन, संशोधन और चॉइस फिलिंग का अवसर अभ्यर्थियों को मिलेगा। वही संस्थागत स्तर (सीएलसी) राउंड में रिक्त रह गयी सीटों पर प्रवेश कि प्रक्रिया 4 जुलाई से 12 अगस्त तक की जाएगी।

भारतीय जनता पार्टी की जिला बैठक संपन्न

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। संगठनात्मक दृष्टि से प्रवास भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली अंग है। यह प्रक्रिया संगठन की जड़ों को सुदृढ़ करने, कार्य की गति को तीव्र बनाने तथा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और उत्साह का संचार करने का सशक्त माध्यम है। यह बात भाजपा के जिला संगठन प्रभारी, सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने गुरुवार को चंदेरी के होटल श्री कुंज में भाजपा की जिला बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। जानकारी देते हुए भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरवीर सिंह रघुवंशी ने बताया कि बैठक में प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी, चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, मुंगावली विधायक राव बृजेंद्र सिंह यादव, नपा अध्यक्ष नीरज मनोरिया, जिला प्रशिक्षण वर्ग प्रभारी राधेश्याम पारीक जिला महामंत्री नरेश ग्वाल, शीला जाटव मंचासीन थी। जिला प्रभारी शैलेंद्र जैन ने कहा कि प्रवास के दौरान स्थानीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा, संगठनात्मक संरचना की मजबूती तथा जनसंपर्क के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे कार्यकर्ताओं में उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है, तथा संगठन की नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित होता है। साथ ही, यह संगठन एवं सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। संगठनात्मक बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि हर महीने मासिक बैठक 5 से 10 तारीख, मंडल बैठक 1 से 7 तारीख शक्ति केंद्र की बैठक 21 से 25 तारीख एवं जिला प्रशिक्षण वर्ग 22, 23 मई को होगा। बैठक को भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी ने संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक कार्यों में रुचि लेकर उन्हें समय पर पूर्ण करने की बात कही। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। बैठक को चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया।

पिता के नाम 25 केव्ही का ट्रांसफार्मर, बेटे को बिजली कंपनी ने थमाया चोरी का नोटिस

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। मुंगावली डिवीजन अंतर्गत विद्युत कंपनी द्वारा पथरिया, दंगालिया आदि गांवों में हजारों रूपयों की बिजली चोरी के नोटिस बांटे गये और आज लोक अदालत में जमा करने के लिए दबाव बनाया, जबकि कई ग्रामीण तो ऐसे हैं जो खेत पर टपरा बनाकर रह रहे हैं और अपने खेतों में किराये से पानी देकर खेती कर रहे हैं उनको भी हजारों का नोटिस विद्युत कंपनी ने थमा दिये हैं।

ग्राम दंगालिया में बाबूलाल बंजारा के नाम 25केव्ही का ट्रांसफार्मर रखा है जिसका मार्च महीने करीब 13 हजार रूपये बिल जमा किया है। बाबूलाल बंजारा के पुत्र आशाराम बंजारा को 20240 रूपये नोटिस आया है। आशाराम का कहना है कि वह खेत में मोटर से पानी दे रहा था। एक साहब आये और नाम पूछा अगले ही दिन चालानी नोटिस घर आ गया। इस संबंध में बहादुरपुर जेई का कहना है कि वह दो मोटर का संचालन कर रहा था। वहीं ग्राम पंचायत केशलोन के पथरिया में बालकिशन अहिरवार की लंबे समय से 1 लाख 40 रूपये खर्च कर 25केव्ही का ट्रांसफार्मर रखा है उसे 33895 रूपये का नोटिस थमाया गया है। बालकिशन का कहना है कि उसने ठेकेदार दांगी को 1 लाख 40 हजार रूपये जमा किये हैं उसने 25केव्ही का ट्रांसफार्मर रख दिया है, लेकिन विद्युत कंपनी मुझे बिजली चोर समझ रही है।

उधर बिरमाल पुत्र बादामसिंह को भी 20420 रूपये का नोटिस दिया है। उनका कहना है कि यह नोटिस लाइनमेन भरत यादव ने नहीं दिया बल्कि पडोस के एक लड़के उन्हें दिया है। उनके पिता बादामसिंह के नाम 25केव्ही का ट्रांसफार्मर रखा है इसके बाद भी उनके नाम से 20 हजार से ज्यादा का बिजली चोरी का नोटिस दिया है। इसी तरह विनयसिंह के यहां खेत तो हैं न ही मोटर चलती है। उनका कहना है ि कवह दूसरों से किराये से अपने खेतों में पानी दिलवाते हैं। खेत पर टपरा बनाकर रह रहे हैं। उनको भी 6 हजार रूपये से अधिक का नोटिस देकर लोक अदालत मुंगावली में बुलाया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि टारगेट पूरा करने के लिए जबरन चालानी नोटिस दिये गये हैं। इस संबंध में जेई ने बताया कि सभी नोटिस बिजली चोरी को लेकर दिये गये हैं। कोई नोटिस गलत नहीं है।

जिला जेल में बंदियों को बताए अधिकार

अशोकनगर। प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष सतीश चन्द्र शर्मा के मार्गदर्शन में व जिला न्यायाधीश सुनील कुमार, सचिव मनीष अनुरागी, जिला विधिक सहायता अधिकारी हेमंत कुशवाहा एवं लीगल एड डिफेंस काउंसल डिप्टी विष्णु नारायण बिरथरे की उपस्थिति में शुक्रवार को जिला जेल अशोकनगर का निरीक्षण, बंदियों से व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। निरीक्षण के दौरान निरूद्ध बंदियों से उनके अधिवक्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर बताया गया।

धर्म-कर्म

मुनिश्री ने धर्मसभा को किया संबोधित

धर्म के लिए कर्म मत करो, कर्म करते हुए धर्म करो : सुधासागर महाराज

नवभारत न्यूज

मुंगावली। धर्म के लिए कर्म मत करो कर्म करते हुए धर्म करो तव ही सद्गति होगी कमाया जाता है खर्च के लिए और उसी में से कुछ पैसे इकट्ठे करते चले जाते हैं वह आपकी पूंजी वन जाती है अलग से कोई पूंजी वनने की आवश्यकता नहीं है वह तो आपने आप वनती चली जाएगी ऐसे ही धर्म के लिए कर्म मत करो कर्म करते चले जाओगे तो धर्म तो अपने आप होगा ही हम जो भी अच्छे भावों से करते चले जाते हैं वहीं हमारे धर्म की पूंजी वनकर सामने आती चली जाती है उक्त आश्य केउद्गार सुधा सागर सभागार में विशाल धर्मसभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग कमाते हों सो टेक्स देते हो कोई राष्ट्र पर एहसान नहीं कर रहे आप लोगों की राष्ट्र भक्त ऐसी तो बिल्कुल नहीं है जो राष्ट्र की सेवा करने के लिए धन कमाने में लगे हो हमारे चातुर्मास कराने के लिए मत कमाना गुरु के लिए नहीं कमाना साधु के लिए भोजन बनाना दोष है आप अपने लिए भोजन वना रहे हैं तो साधु का पढगाहन कर लेना हमें पता चल जाये कि आप के परिवार का उपवास है और आपने महाराज के लिए आहार कारा दिया तो हमें प्रयृचित लेना पड़ेगा आप महाराज के लिए कुएं से पानी भर कर नहीं ला सकते आप अपने लिए ला रहे हो तो आप ला सकते हैं आपके परिवार या रिश्तेदार के लिए पहले बुला लेना फिर कर सकते हैं आप घर छोड़ दो तो मन्दिर के लिए पैसे मत कमाना तुम्हारे लिए साधु को बिल्कुल भी नहीं कमाना चाहे तो तुम्हें कोई धमकाये धमकी मे भी मत आना।

आज भी मुंगावली में ऐसा लगता है कि अभी चातुर्मास हुआ:

उन्होंने कहा कि आज भी मुंगावली में ऐसा लगता है कि अभी चातुर्मास हुआ सब को पता है पैंतीस साल पहले मुंगावली में चातुर्मास हुआ था, लेकिन नगर वासियों की भक्ति आस्था और श्रद्धा को पार करना आसान नहीं है जैसे ही स्पीड वैकर आता है तो आप लोग अपनी गाड़ी को धीमा कर लेते हैं ऐसे ही हम लोग भी अपनी गाड़ी को धीमा कर लेता हूं आपके भावों समझते हैं ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं समझते मेरा जो भी उपदेश होता है वो मेरे अपने भक्तों के लिए होता है ये प्रवचन ऐसे ही नहीं आ गये मेरे गुरु ने कितनी मेहनत की गुरु का एक एक छण कितना कीमत है जिन महाराज के लिए एक एक दिन के तरस रहे हैं कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे नगर से निकल जाये कक्ष में शिक्षक तो सभी को पड़ता है लेकिन सभी की अपनी अपनी योग्यता होती है वे भाग्य से नहीं मेहनत से आते हैं।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग अशोकनगर

क्रमांक/0034/ अपील/2024-25/40

अशोकनगर दिनांक 08/04/2026

चिमनबाई पत्नि अर्जुनसिंह जाति लोधी निवासी ग्राम बरखेडी तूमैन तहसील व जिला अशोकनगर मप्र

अपीलार्थी

बनाम

1. चिंटू पुत्र भग्गा जाति ढीमर निवासी ग्राम बरखेड़ी तूमैन तहसील व जिला अशोकनगर मप्र
2. रामेश्वर पुत्र तोफान सिंह जाति सेन निवासी ग्राम भादोन हाल निवासी शंकर कॉलोनी वार्ड नंबर 07 अशोकनगर
3. जुली पत्नि गिर्राज रघुवंशी निवासी ग्राम बरखेडी तूमैन तहसील व जिला अशोकनगर मप्र
4 रामजीवन पुत्र बलराम सिंह जाति धाकड निवासी ग्राम बरखेडा गिर्द तहसील व जिला गुना

प्रतिअपीलार्थीजन

//विज्ञप्ति//

जर्ये विज्ञप्ति समाचार पेपर द्वारा सूचित किया जाता है कि अपीलांट चिमनबाई पुत्री पत्नि अर्जुनसिंह जाति लोधी निवासी ग्राम बरखेड़ी तूमैन तहसील व जिला अशोकनगर द्वारा ग्राम बेरखेड़ी तूमैन की नामांतरण पंजी क्रमांक 17 में पादित आदेश दिनांक 03 .06 .2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है उक्त अपील में जिस किसी व्यक्ति का हित अथवा आवश्यक पक्षकार हो वह न्यायालय में पेशी दिनांक 29 .04 .2026 तक अपनी आपत्ति स्वयं उपस्थित होकर अथवा उचित माध्यम से प्रकरण में प्रस्तुत कर सकता है। वाद म्याद गुजरने उपरांत किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। यह विज्ञप्ति मेरी पद मुद्रा हस्ताक्षर से जारी है।

(शुभ्रता त्रिपाठी)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुभाग-अशोकनगर

//विज्ञप्ति//

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-अशोकनगर (मप्र)

प्रकरण क्रमाक/0046/अपील/2025-26/39

अशोकनगर, दिनांक 29/04/2026

1. संतरामसिंह पुत्र नन्नूसिंह यादव 2. मलखानसिंह पुत्र रतिराम यादव 3. भूरीबाई वेवा पत्नि मेहरवानसिंह यादव

संग्रामसिंह फोत के वारसान

4. सिरनामबाई वेवा पत्नि संग्रामसिंह यादव समस्त निवासीजन ग्राम भादौन तहसील व जिला अशोकनगर (मप्र) ------**अपीलार्थी**

बनाम

1. लालसहाब पुत्र जहारसिंह यादव निवासी ग्राम भादौन तहसील व जिला अशोकनगर मप्र

छोगीलाल पुत्र जहारसिंह यादव फोत के वारसान

2. लल्लू पुत्र छोगीलाल यादव निवासी ग्राम भादोन तहसील अशोकनगर 3. नीलम पुत्र छोगीलाल यादव निवासी ग्राम भादोन तहसील अशोकनगर 4. कल्याण पुत्र छोगीलाल यादव निवासी ग्राम भादोन तहसील अशोकनगर 5. किशनबाई पुत्री छोगीलाल यादव निवासी गाम भादोन तहसील अशोकनगर 6. गुडडोबाई पुत्री छोगीलाल पत्नि हरवीरसिह निवासी ग्राम रिजौदा तहसील अशोकनगर

प्रकाशबाई पुत्री छोगीलाल पत्नि लालसिंह फोत के वारसान

7. हरिसिंह पुत्र लालसिंह यादव निवासी ग्राम गुपलिया तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर

8. लालू पुत्र लालसहाब यादव निवासी ग्राम भादौन तहसील अशोकनगर 9. रामकुमार पुत्र लालसहाब यादव निवासी ग्राम भादौन तहसील व जिला अशोकनगर (मप्र) ---------**रेस्पोन्डेन्टजन**

(पक्षकारों की उपस्थिति हेतु विज्ञप्ति सूचना)

एतद् द्वारा सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी संतरामसिंह पुत्र नन्नूसिंह यादव बगैराह निवासी ग्राम भादौन तहसील व जिला अशोकनगर मप्र द्वारा **ग्राम पंचायत भादौन के पंचायत प्रस्ताव क्रमांक 26 दिनांक 18/08/2009** के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील पेश की है। उक्त प्रस्ताव भूमि ग्राम भादौन के सर्वे नंबर 215/2, सर्वे नंबर 215/4, सर्वे नंबर 217/4, सर्वे नंबर 225/3. सर्वे नंबर 225/4 के बटवारा से संबंधित है। उक्त अपील में जिस किसी व्यक्ति का हित अथवा आवश्यक पक्षकार हो वह न्यायालय में पेशी दिनांक 22/05/2026 तक अपनी आपति स्वयं उपस्थित होकर अथवा उचित माध्यम से प्रकरण में प्रस्तुत कर सकता है। वाद म्याद गुजरने उपरांत किसी भी प्रकार का आपति पर विचार नहीं किया जावेगा। 0 यह विज्ञप्ति मेरी पद मुद्रा हस्ताक्षर से जारी है।

(शुभ्रता त्रिपाठी)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुभाग-अशोकनगर